

न्यायालय सिविल जज (एस0डी0), रुड़की, जिला हरिद्वार।

वाद संख्या—224 / 2022

विजय कुमार अग्रवाल बनाम विपुल कुमार अग्रवाल आदि

दिनांक 02.08.2024—

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज एकपक्षीय निर्णय हेतु नियत है। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया। निर्णय के अनुसार निम्न आदेश पारित किया गया—

—: आदेश :-

वादी का वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यावाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रीतिका सेमवाल)

सिविल जज (एस0डी0), रुड़की,
जिला हरिद्वार।